वैदिक काल में स्मृतियों का स्वरूप – एक कानून संहिता के रूप में

Dr. Rajkumar, Assistant Professor, Department of History, Seth G.L. Bihani S.D. Post Graduate, Sriganganagar

सारांश

वैदिक काल में भारतीय सामाजिक और धार्मिक जीवन का संचालन मुख्यतः वेदों द्वारा होता था, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया और समाज अधिक जटिल होता गया, वैदिक विधियों की व्यावहारिकता सीमित होने लगी। इसी आवश्यकता से स्मृति ग्रंथों का उद्भव हुआ। स्मृतियाँ, विशेष रूप से मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि, न केवल धार्मिक नियमों का संकलन थीं, बल्कि सामाजिक आचार-विचार, न्यायिक प्रक्रियाएँ, उत्तराधिकार, दंड विधान और राजा तथा प्रजा के कर्तव्यों जैसी विधिक व्यवस्थाओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करती थीं।

इन ग्रंथों में वर्णाश्रम धर्म, स्त्री-पुरुष संबंध, संपत्ति के अधिकार, अपराध एवं दंड आदि विषयों को विस्तृत रूप में समझाया गया है। स्मृतियाँ किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं थीं, बल्कि यह सदियों तक सामाजिक अनुभव, परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के संकलन का परिणाम थीं।

इस प्रकार, स्मृतियाँ केवल धार्मिक या नैतिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि वैदिक उत्तरकालीन समाज की विधिक संरचना को व्यवस्थित और स्थिर करने वाली एक प्रभावशाली *कानून संहिता* के रूप में कार्य कर रही थीं। उन्होंने न केवल उस समय के सामाजिक नियमों को औपचारिक रूप दिया, बल्कि भारतीय विधिक परंपरा की नींव भी रखी।

मुख्य शब्द: वैदिक काल, स्मृति ग्रंथ, कानून संहिता, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, विधिक परंपरा।

SEA SHRADHA EDUCATIONAL ACADEMY